बिहार राज्य महिला आयोग नियमावली - 2010

समाज कल्याण विभाग

बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 (बिहार अधिनियम, 6, 1999) अध्याय V की धारा-17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बिहार राज्य महिला आयोग के कृत्यों एवं दायित्वों तथा सेवा के निबंधन और शर्त्तों को विनियमित करने एवं आयोग के कर्मचारियों, पदाधिकारियों सदस्यों एवं अध्यक्ष को सुविधाओं का प्रावधान करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ -

(i) यह नियमावली बिहार राज्य महिला आयोग नियमावली, 2010 कही जायेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा।

(iii) यह तुरंत प्रवृत होगा।

2. **परिभाषाएं** - जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :-

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999

(ख) ''आयोग'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत गठित बिहार राज्य महिला आयोग।

(ग) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा-2 (क) के अधीन नाम निर्दिष्ट आयोग का अध्यक्ष।

(घ) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है, आयोग के सदस्य और इसमें सदस्य सचिव भी सम्मिलित होगें।

(ड़) ''विहित'' से अभिप्रेत है, बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम-1999 के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित।

3. **वेतन एवं भत्ते** :-

(i) बिहार राज्य महिला आयोग (संसोधन) विधेयक, 2002 द्वारा यथा संशोधित बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 5 के अनुसार अध्यक्ष एवं गैर सरकारी सदस्यों के पद वैतनिक करने का है एवं इस आलोक में बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष को 21,000/- (एक्कीस हजार) रूपया प्रतिमाह तथा गैर सरकरी सदस्यों को 15,000/- (पन्द्रह हजार) रूपया प्रतिमाह नियत वेतन देय होगा।

(ii) अध्यक्ष एवं गैर सरकारी सदस्य आयोग के कार्य से राज्य सरकार के अंदर भ्रमण कर सकेंगी। इस हेतु उन्हें राज्य सरकार के ग्रुप 'ए' श्रेणी के पदाधिकारियों के अनुसार यात्रा/भत्ता दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा।

(iii) राज्य के बाहर की यात्रायें राज्य सरकार के अनुमोदन उपरांत ही की जा सकेगी। इस हेतु उपबंध- (ii) के अनुसार यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा। अध्यक्ष एवं सदस्य को राज्य सरकार में कार्यरत श्रेणी 'ए' के पदाधिकारियों को जो मकान किराया भत्ता अनुमान्य है, वही देय होगा।

(iv) अधिनियम की धारा-9(2) के अन्तर्गत आयोग द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार विशेष मामलों के निष्पादन हेतु गठित समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित व्यक्ति यदि सदस्य के रूप में सहयोजित होने की तिथि को केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा में अथवा केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त संस्थाओं की सेवा में नहीं हों तो वे समिति की बैठक में भाग लेने के लिए 1000/- (एक हजार) रूपया भत्ता प्राप्त करने की हकदार होंगी। इसके अलावे उन्हें राज्य सरकार के समूह 'बी' के पदाधिकारियों के अनुमान्य दैनिक भत्ता एवं यात्रा भत्ता भी देय होगा।

4. **<u>पदावधि</u>** :-

(i) अधिनियम का धारा-3 की उप धारा-2 अन्तर्गत कोई व्यक्ति, जिसकी आयु 65 वर्ष या उससे कम है, को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नामोदिष्ट किया जा सकेगा।

(ii) अध्यक्ष या सदस्य को यदि अधिनियम की धारा-4 उप धारा-2 अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा हटाया नहीं जाता है तो वे मनोनयन तिथि से 3 (तीन) वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे।

(iii) उपर्युक्त उपनियम - (1) अन्तर्गत :-

(क) सदस्य के रूप में कार्यरत पद धारक को पुनः अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(iv) यदि आयोग के अध्यक्ष बीमारी या अन्य कारणों से अपने कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो जाती है, तो राज्य सरकार आयोग के अन्य किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु नाम निर्दिष्ट कर सकेगी एवं इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति वास्तविक अध्यक्ष के पुनः कार्यालय लौटने तक कार्यरत रहेंगी।

(v) यदि अध्यक्ष का पद मृत्यु या त्याग पत्र देने के कारण रिक्त होता है तो राज्य सरकार आयोग के अन्य किसी सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु नामनिर्दिष्ट कर सकेगी एवं इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में अधिनियम की धारा-4 कर उपधारा-2 (ज) के अन्तर्गत नये अध्यक्ष के नामनिर्दिष्ट होने तक कार्यरत रहेंगी।

5. **<u>छुट्टी की अनुमान्यता</u>** :-

अध्यक्ष एवं गैर सरकारी सदस्य निम्नलिखित रूप से छुट्टी के हकदार होंगे-

(i) समय-समय पर यथा संशोधित बिहार सेवा संहिता के संगत नियमो के अनुसार एक अस्थायी सरकारी सेवक की भाँति उपार्जित छुट्टी, अर्द्धवैतनिक छुट्टी विशेष छुट्टी एवं असाधारण छुट्टी।

(ii) अध्यक्ष द्वारा गैर सरकारी सदस्यों की आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत की जायेगी।

(iii) अध्यक्ष की छुट्टी की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।

6. **<u>वाहन</u>** :-

(i) अध्यक्ष, राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत सरकारी वाहन प्राप्त करने के लिए हकदार होंगी, जिसका उपयोग केवल आयोग के कार्यों के लिए किया जा सकेगा।

(ii) राज्य सरकार द्वारा वाहन नहीं उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में अध्यक्ष केवल आयोग के कार्यों हेतु किराये पर वाहन रख सकेंगी एवं इसके भाड़े ईंधन का खर्च आयोग अनुदान में प्राप्त होने वाली राशि से कर सकेगा।

(iv) आयोग या इसकी गठित उप समिति राज्य अन्तर्गत भ्रमण हेतु अल्प अवधि हेतु वाहन भाड़ें पर ले सकेगा एवं भाड़े एवं ईंधन का खर्च आयोग के अनुदान में प्राप्त होने वाले राशि से कर सकेगा।

(v) सरकारी वाहन पर प्रतिमाह खपत होने वाले ईंधन की अधिकतम सीमा सरकारी नियमों के अनुसार तय होगी और भाड़े पर वाहन लेने की स्थिति में भाड़े की दर वित्त विभाग की सहमति से तय की जायेगी।

7. **<u>आयोग के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण</u>** :-

(1) आयोग के कार्यों के निष्पादन हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार पदों के सृजन कर प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध करायें जायेगें।

(2) आयोग में कार्यरत पदाधिकारी/ कर्मचारी को आकस्मिक छुट्टी की स्वीकृति आयोग के सदस्य सचिव द्वारा दी जायेगी।

(3) आयोग में कार्यरत पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन/ भत्ता का भुगतान आयोग को प्राप्त होने वाले अनुदान राशि से की जायेगी।

8. **<u>आयोग के प्रशासनिक व्यय</u>** :-

(i) आयोग प्रत्येक वर्ष के सितम्बर माह में अगले वित्तीय वर्ष के लिए मदवार सम्भावित व्यय हेतु प्रस्ताव राज्य सरकर को प्रस्तुत करेगा।

(ii) प्राप्त व्यय प्रस्ताव के आलोक में आवश्यकता के अनुरूप राशि गैर योजना मद से आयोग को दिया जायेगा, आवश्यकता का आकलन प्रशासी विभाग एवं वित्त विभाग के द्वारा राज्य के संसाधन के आलोक में किया जायेगा।

(iii) आयोग के अध्यक्ष/ गैर सरकारी सदस्य/ पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते एवं अन्य व्यय अनुदान राशि से की जायेगी।

(iv) इस राशि को सदस्य सचिव खर्च कर सकेंगे।

(v) राशि की निकासी हेतु सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से सभी चेक निर्गत होंगे।

(vi) आयोग के सदस्य सचिव अनुदान राशि के व्यय संबंधी लेखा विवरणी के संधारण हेतु उत्तरदायी होगें तथा अधिनियम के अनुसार लेखा संधारण अंकेक्षण एवं वार्षिक अंकेक्षण तैयार करायेगें। वार्षिक लेखा विवरणी महालेखाकार बिहार द्वारा निर्गत प्रारूप में तैयार किया जायेगा।

(vii) आयोग के द्वारा अनुदान राशि के व्यय हेतु राज्य सरकार के वित्तीय नियमावली का अनुपालन किया जायेगा एवं पंजियाँ आदि निर्धारित प्रपत्र में संधारण की जायेगी। आयोग के सभी खर्च महालेखाकार, बिहार द्वारा अंकेक्षण योग्य होगा। आयोग के लेखा का अंकेक्षण कार्य महालेखाकार बिहार द्वारा निर्धारित अन्तराल पर किया जायेगा एवं इसपर किया गया व्यय आयोग द्वारा महालेखाकार को देय होगा।

(viii) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत आयोग प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को समर्पित करेगा।

9. <u>सेवा निवृत्ति</u> :-

(i) वैसे अध्यक्ष/ गैर सरकारी सदस्य को पेंशन/ भविष्य निधि की सुविधा देय नही होगी जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने के पूर्व केन्द्र या राज्य सरकार की किसी सेवा में नहीं रहे हों।

(ii) वैसे अध्यक्ष/ गैर सरकारी सदस्य जो अपनी नियुक्ति की तिथि को केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में थे, वे आयोग के अध्यक्ष/ गैर सरकारी सदस्य में नियुक्ति के वाद योगदान के पूर्व सरकारी सेवा से सेवानिवृत होने के पश्चात ही योगदान दे सकेंगे।

(iii) ऐसी अध्यक्ष या सदस्य जो अपनी ऐसी नियुक्ति के समय केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रही हों, अपनी नियुक्ति की तारीख से छः माह के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग कर जिस सेवा में वह थी, उस सेवा पर लागू नियमों के अनुसार अपनी पेंशन और अन्य सेवानिवृति सुविधायें प्राप्त करने की हकदार होगी, जो (यथास्थिति) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति की तारीख से प्रभावी होगी, परन्तु ऐसी दशा में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके वेतन में से सकल पेंशन की समतुल्य राशि को, जिसमे पेंशन का कोई भाग जो रूपांतरित हुआ हो और अन्य सेवानिवृति प्रसुविधाओं की समतुल्य पेंशन भी शामिल है, घटा दिया जाएगा, तथा वह अपनी पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुवि-धाओं की समतुल्य पेंशन भी शामिल है, घटा दिया जाएगा, तथा वह अपनी पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति प्रसुविधाएँ पृथक्तः प्राप्त करने की हकदार होंगी।

(iv) अध्यक्ष या सदस्य जो अपनी ऐसी नियुक्ति के समय केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रही हों और यदि वह उप नियम -(iii) में विनिर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग नहीं करती है, तो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसकी सेवा की गणना ऐसी नियुक्ति के तुरन्त पहले या जिस सेवा में रही हों उस सेवा पर लागू नियमों के अधीन पेंशन और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के लिए की जायेगी।

(v) ऐसी अध्यक्ष या सदस्य जो आयोग में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा में रही हो और जिसे सामान्य भविष्य निधि या अंशदायी भविष्य निधि की प्रसुविधाये मिली हुई थी वह उस निधि में उस तारीख तक अंशदान जारी रख सकेंगी जिस तारीख को वह अपनी सेवा में लागू नियमों के अनुसार सेवानिवृत नहीं हो जाती। अंशदायी भविष्य निधि की दशा में, उस निधि में देय नियोजक का अंशदान आयोग में अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति की तारीख से उन परिलब्धियों के आधार पर आयोग द्वारा देय होगा जो वह नियुक्ति के तुरन्त पहले धारित पद पर प्राप्त कर सकता।

परन्तुक (क) इस उप नियम के अधीन अपने विकल्प का प्रयोग करने वाली सदस्य अपनी नियुक्ति के छः माह के भीतर राज्य सरकार को लिखित रूप से अपना विकल्प संसूचित करेगी और इस प्रकार प्रयुक्त विकल्प अंतिम होगा।

(ख) भविष्य निधि की सुविधा उसी नियमावली अंतर्गत प्रदत्त होगी जिस नियमावली के अन्तर्गत ऐसे अध्यक्ष/ गैर सरकारी सदस्य आयोग में अपनी नियुक्ति की तिथि के पूर्व रहे हो।

10. <u>**वार्षिक प्रतिवेदन**</u> :-

(i) अधिनियम की धारा-13 के अधीन आयोग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 30 अप्रैल तक अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा। जिसकी प्रति राज्य सरकार को आयोग द्वारा अग्रसारित की जाएगी। वार्षिक प्रतिवेदन में आयोग का प्रशासकीय प्रतिवेदन भी संलग्न रहेगा। जिसमें आयोग के संगठन, अध्यक्ष/ सदस्यो के नाम सहित आयोग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का नाम /पदनाम सम्मिलित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान आयोग के क्रियाकलाप यथा महिला जागृति कि लिए उठाये गये सकारात्मक कदम, महिला अधिकरी की सुरक्षा संबंधी एवं प्रोत्साहन, महिला प्रताड़ना, समस्याओ का निराकरण न्याया दिलाने आदि का पूर्ण लेखा, तथा महिला प्रताड़ना एवं महिलाओं की समस्याओं से संबंधित आयोग में दर्ज एवं निष्पादित मामलो की विवरणी भी वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल किया जायेगें। विवरणी में दहेज, हत्या, बलात्कार अपरहरण, डायन प्रथा, सम्पति संबंधी मामले, दहेज उत्पीड़न, उत्पीड़न तथा विविध मामले शामिल रहेंगे।

(ii) वार्षिक प्रतिवेदन में आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओ पर कृत कार्रवाई का उल्लेख रहेगा।

(iii) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान आयोग का बजट प्रावधान एवं व्यय प्रतिवेदन को प्रतिवेदन में शामिल किया जायेगा।

(iv) वार्षिक प्रतिवेदन में अन्य उल्लेखनीय बात यदि कोई हो तो उसे भी शामिल किया जायेगा।

11. इय नियमावली मे सदस्यों की जिन सेवा शर्त्तों के लिए स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, वे वही होगी जो समय-समय पर बिहार सरकार के द्वारा तय की जायेगी।

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक-1/स.क.विविध (म.आ.) 60-16/08 **3792**./स.क., पटना दिनांक-**01.09.10**

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, राजकीय मुद्रनालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सी.डी. एवं दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि बिहार राज्य महिला आयोग नियमावली, 2010 का हिन्दी की एक सौ प्रति इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(राम लखन रविदास)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-1/स.क.विविध (म.आ.) 60-16/08 **3792**./स.क., पटना दिनांक-**01.09.10**

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/ सभी विभाग के प्रधान सचिव/ सचिव/ प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ समाज कल्याण विभाग मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/ निदेशक, समाज कल्याण/ आई.सी.डी.एस. एवं सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता, बिहार, पटना/ अध्यक्ष, बिहार, राज्य महिला आयोग, पटना/ उप सचिव, बिहार राज्य महिला आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।